संख्या-28/2020/486/छप्पन-2020-153/2000

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2020

विषय:राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर के AFCU (Automatic fuel control Unit), Part no. 3244883-12, sl.No. D43613 and Fuel oil Heater, part no. 10544G, sl. No. WA30561 का ओवर हॉल कराए जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 800/CADUP/ENG(PUR)/B-8/2019 दिनांक 05 मार्च, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर से निकाले गए (1) Automatic fuel control Unit (AFCU), (part no. 3244883-12, sl. no. D43613) एवं (2) Fuel oil Heater, (part no. 10544G, sl. No. WA30561) कम्पोनेंट्स के ओवरहॉल कार्य को इंजिन निर्माता अधिष्ठान M/s Prat & Whitney Components Solution, U.S.A. से कराए जाने हेतु रूपए 16,39,781/- (रूपए सोलह लाख उनतालिस हजार सात सौ इक्यासी मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 1/2020/2352/छप्पन-2019-153/2000 दिनांक 07 जनवरी, 2020 द्वारा निर्गत की गयी थी। इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि पुर्जों के Strip down inspection के उपरान्त फर्म द्वारा फाइनल कास्ट स्टीमेट संख्या-6369691 दिनांक 03 मार्च, 2020 के अनुसार (1) Automatic fuel control Unit (AFCU), (part no. 3244883-12, sl. no. D43613) की ओवरहाल की दर में यू0एस0 डॉलर 1067.85 की कमी हुई है तथा (2) Fuel oil Heater, (part no. 10544G, sl. No. WA30561) की दर में यू0एस0 डॉलर 98.91 की बढ़ोत्तरी हुई है, इस प्रकार भुगतान किए जाने वाले कुल धनराशि पूर्व स्वीकृत धनराशि से यू0एस0 डॉलर 968.94 कम है तथा डॉलर-रूपए की विनिमय दर में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अब रूपए 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर पर भुगतान किया जाना है। अत: शासनादेश द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि यू0एस0डॉलर 22159.20 (भारतीय मुद्रा में रूपए 74/- प्रति यू0एस0 डॉलर के विनिमय से रूपए 16,39,781/-) के सापेक्ष अब यू0एस0डॉलर 21190.26 (भारतीय मुद्रा में रूपए 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर के विनिमय से रूपए 16,52,840/-) का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अत: श्री राज्यपाल राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर के AFCU (Automatic fuel control Unit), Part no. 3244883-12, sl. No. D43613 and Fuel oil Heater, part no. 10544G, sl. No. WA30561 का ओवर हॉल कार्य को इंजिन निर्माता अधिष्ठान M/s Prat & Whitney Components Solution, U.S.A. से कराए जाने हेतु कुल रू0 16,52,840/- (रूपए सोलह लाख बावन हजार आठ सौ चालीस मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या- 1/2020/2352/छप्पन-2019-153/2000 दिनांक 07 जनवरी, 2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 16,39,781/- (रूपए सोलह लाख उनतालिस हजार सात सौ इक्यासी मात्र) को घटाते हुए अवशेष अतिरिक्त धनराशि रू0 13,059/- (रूपए तेरह हजार उनसठ मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दोनों कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-375/दस-2020 दिनांक 27 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या: 28/2020/486(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।